भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(युवा कार्यक्रम विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 269
उत्तर देने की तारीख 02 फरवरी, 2026
13 माघ, 1947 (शक)

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में युवा छात्रावास का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण

269. श्री दुरई वाइको:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित युवा छात्रावास जर्जर हालत में है और युवा प्रशिक्षण एवं आवासीय कार्यकलापों के लिए उपयोग करने योग्य नहीं है;

(ख) क्या सरकार को जिला युवा छात्रावास प्रबंधन समिति से उक्त छात्रावास के नवीनीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो दिनांक 05.01.2022 को प्रस्तुत 90,62,400 रुपये की अनुमानित लागत का प्रस्ताव और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या युवा छात्रावास वर्तमान में 'माई भारत' (पूर्व में नेहरू युवा केंद्र) के केयर टेकर नियंत्रण में है और क्या इसके रखरखाव के लिए निधि आवंटित की जा रही है; और

(ङ) सरकार का युवा एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए सुविधा को कार्यशील बनाने हेतु किस समय-सीमा के भीतर नवीनीकरण कार्य को स्वीकृत करने और प्रारंभ करने का प्रस्ताव है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): युवा छात्रावास नियमावली के अनुसार, निर्माण पूर्ण होने पर संबंधित युवा छात्रावास को छात्रावास प्रबंधन समिति को, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है, हस्तांतरित किया जाता है । नियमावली में नवीनीकरण/उन्नयन हेतु अधिकतम ₹20.00 लाख तक का एकमुश्त अनुदान प्रदान करने का प्रावधान भी है|

तिरुचिरापल्ली स्थित युवा छात्रावास के संबंध में दिनांक 05.01.2022 को ₹90,62,400 की राशि का एक प्रस्ताव छात्रावास प्रबंधन समिति (एचएमसी) के अध्यक्ष द्वारा मंत्रालय को प्रेषित किया गया था, तत्पश्चात् दिनांक 13.10.2023 को उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा संशोधित करके ₹19,92,700 कर दिया गया। संशोधित प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 26.03.2024 को प्राधिकरण पत्र जारी किया गया, किन्तु उक्त प्राधिकरण पत्र को सीपीडब्ल्यूडी, चेन्नई द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसके पश्चात् युवा कल्याण एवं खेल विकास विभाग, चेन्नई से एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो वर्तमान युवा छात्रावास नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत कवर नहीं होता है।

युवा छात्रावास नियमावली के अनुसार प्रत्येक छात्रावास का संचालन मंत्रालय द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक प्रबंधक द्वारा किया जाना है, जिसे एक अधीक्षक (वार्डन) का सहयोग प्राप्त होता है। प्रबंधक की अनुपस्थिति में जिला युवा अधिकारी (माय भारत) प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में तिरुचिरापल्ली स्थित युवा छात्रावास की देखरेख जिला युवा अधिकारी द्वारा की जा रही है। नियमावली के अंतर्गत पृथक रूप से दैनिक अनुरक्षण हेतु कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

पूर्व में आवंटित निधियों का उपयोग न हो पाने के कारण मंत्रालय द्वारा पुनः वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि यह सहायता युवा छात्रावास नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दी जाए।
